मंडल की 24 नवंबर 2020 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	150	'बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट सामान्य उपविधी, 1990' के प्रतिस्थापन में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पत्तन का सामान्य प्रबंधन) विनियम, (प्रारुप) - संबंधी.	टिप्पणी के परिच्छेद 5.1 में उल्लेखित प्रस्तावित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पत्तन का सामान्य प्रबंधन) विनियम, 2019 के संशोधन को महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 123(o) तहत मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते कि धारा 124 तत्रैव के अधीन सरकार की मंजूरी हो.	सामान्य प्रशासन
2.	151	प्राकृतिक जिप्सम के भंडारण प्रति जहाज एम व्ही सॅडलर्स वेल्स, आईजीएम 2247380 दिनांक 20.2.2020 (विस्तार) को अनुमति.	टिप्पणी के परिच्छेद 12 तथा 13 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
3.	152	जहाज एमव्ही वायएम ॲडव्हान्स, आईजीएम/मद सं. 2240233/01 से 08 तथा जहाज एमव्ही दर्या महेश, आईजीएम/मद सं. 2239158/01 से 10 के पीले मटर माल के पोतभार हेतु भंडारण अवधि में विस्तार के लिए अनुरोध.	टिप्पणी के परिच्छेद 16 तथा 17 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
4.	153	जहाज प्रचालनों के लिए किनारा कामगारों की कम आपूर्ति के कारण क्षतिपूर्ति हेतु अनुरोध.	टिप्पणी के परिच्छेद 21 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव इस शर्त पर अनुमोदित किया जाता है कि उपलब्ध सभी किनारा कामगारों को पहले जहाज पर उपयोग में लाया जायेगा.	यातायात
5.	154	तटवर्ती जहाजों/एमबीसी द्वारा गोदियों में लाये गये सीमेंट पोतभार हेतु नि:शुल्क भंडारण दिनों में वृध्दि.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
6.	155	30 जुलाई 2020 को आयोजित मंडल की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्ठी.	मंडल की 30.7.2020 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
7.	156	जहाजों के जरिए कंटेनरों की सम्हलाई हेतु स्टीविडोरिंग प्रभारों में छूट.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
8.	157	निविदा सं. 47/2020 - मुंबई पोर्ट के अप्रोच चॅनलों, घुमावदार मोडो, बाहरी पोतघाटों, इंदिरा गोदी जलक्षेत्र, बंदरक्षेत्रों तथा लंगरगाहों में वर्ष 2020-21 से तीन वर्षो के लिए अनुरक्षण निकर्षण.	टिप्पणी के परिच्छेद 29 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
9.	158	5 मई 2020 को आयोजित मंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट.	मंडल की 5 मई 2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट अनुमोदित, पुनरीक्षित तथा अभिलिखित की जाती है.	सामान्य प्रशासन
10.	159	अन्तर्राष्ट्रीय यात्री जहाज के आगमन के दौरान मुंबई पोर्ट के एमआईसीटी स्थित अस्थायी स्टॉल/दुकानों को खडा करने के लिए जगह का आबंटन. निविदा सं. टीएम/आईडी/02/2017 - अस्थायी स्टॉल प्रचालकों से लाईसेंस अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध संबंधी.	टिप्पणी के परिच्छेद 13 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
11.	160	पीत द्वार पुलिस थाने द्वारा जब्त की गई नावों के तलों की तलाशी के लिए गोताखोर प्रभारों में माफी.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
12.	161	अन्तर्राष्ट्रीय क्रुज टर्मिनल, बीपीएक्स स्थित डयुटी फ्री दुकान के प्रचालन हेतु लाईसेंस अवधि में विस्तार के लिए भारत पर्यटन विकास निगम लि. द्वारा अनुरोध तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु उनके डयुटी फ्री दुकान प्रचालनों के लिए लगायी जा रही लाईसेंस फीस को माफी.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
13.	162	बुथेल्लो ट्रॅवेल्स के लिए जहाँ है जैसे है आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए राजस्व हिस्सा आधार पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की 13 बी इंदिरा गोदी स्थित 60 मे. टन क्षमता, 18 मी x 3 मी प्लेटफार्म आकार के, इलेक्ट्रॉनिक पिटलेस प्रकार के तोल पटल (वे ब्रिज) के प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु लाइसेंस का 3 महीने के लिए द्वितीय विस्तारण.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) टिप्पणी के परिच्छेद 11 के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को, (ii) विस्तारण - (a) 28.10.2020 से 3 महीने की अवधि के लिए बुथेल्लो ट्रॅवेल्स के साथ वर्तमान संविदा को अथवा वर्तमान जारी निविदा को अंतिम स्वरुप दिये जाने तक, इसमें से जो भी पहले हो, उसे वर्तमान संविदा की समान शर्तों तथा निबंधनों पर. (b) 10.11.2020 से आगे की 60 दिनों की बोली वैधता अवधि.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
14.	163	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की आईएसडीएन ईपीएबीएक्स नेटवर्किंग प्रणाली हेतु व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा (सीएएमसी) का 1.7.2020 से 30.6.2021 तक नवीकरण.	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का संयुक्त निदेशक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	संयुक्त निदेशक
15.	164	मुंपोट्र के रिक्त भूखंडों की ई-निविदा तथा ई-नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए बोली प्रक्रिया हेतु कार्यविधि तथा तरीका.	विचार-विमर्श आस्थगित.	संपदा
16.	165	अनिकासित, बेदावा तथा परित्यागित माल की बिक्री - बिक्री संप्राप्तियों का आबंटन - दिनांक 30.5.2016 की न्यासं सं.18 के अनुसार विलम्ब शुल्क को मर्यादित रखना.	टिप्पणी के परिच्छेद 16 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
17	166	1.11.2020 से प्रभावी आगे के 5 वर्षों के लिए हाई स्पीड डिजल (एचएसडी) और लो सल्फर हाई फ्लॅश एचएसडी (एलएस - एचएफ - एचएसडी) की पूर्ति के लिए इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) के साथ तेल पूर्ति समझौते का नवीनीकरण.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के अवलोकनोंकी पूर्तता की शर्त पर, टिप्पणी के परिच्छेद 10 का मुख्य यांत्रिकी अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	वित्त
18.	167	निविदा सं. ई 47ए /2017 - मुंबई पोर्ट के पहुँच जलमार्गो, घुमावदार मोडों, पोत घाटों की बाहरी बाजूओं, इंदिरा गोदी बेसिन, बंदर क्षेत्रों तथा लंगरगाहों के लिए साल 2017-18 में शेष निकर्षण तथा दो वर्ष जैसे की 2018-19 एवं 2019-20 का अनुरक्षण निकर्षण - विभिन्नता (अतिरिक्त निकर्षण किया गया).	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
19.	168	गोपनीय		
20.	169	पीर पॉव स्थित दूसरे रसायन घाट के पहुँच जलमार्ग को गहरा तथा चौडा करने के लिए पूंजीगत निकर्षण. - आय आय टी बॉम्बे की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 24 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
21.	170	कोविड-19 महामारी संकट के प्रबंधन के लिए चिकित्सा विभाग की खरीद समिति द्वारा आपातकालीन सामान की खरीद - कार्योत्तर अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
22.	171	नाडकर्णी पार्क कालोनी, वडाला स्थित जीर्ण ईमारत संख्याएँ 29, 30, 31, 33 तथा 34 को गिराना.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
23.	172	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के मुंबई अन्तर्राष्ट्रीय क्रुज टर्मिनल में ड्युटी फ्री शॉप स्थापित करने के लिए लाईसेंस आधार पर क्षेत्र का आबंटन. निविदा सं.टीएम/आईडी/05/2017.	विचार -विमर्श आस्थगित.	यातायात
24.	173	शक्कर के निर्यात पर विलम्ब शुल्क हेतु रियायती दरें - संबंधी.	टिप्पणी के परिच्छेद 18 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
25.	174	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी, 1975 (अवकाश) विनियम, में संशोधन - प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को शिशु देखभाल अवकाश की मंजूरी प्रदान करने - संबंधी.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के तहत अनुलग्नक III में यथा निर्दिष्ट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (अवकाश) विनियम, 1975 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124, तत्रैव के अधीन केंद्र सरकार की मंजुरी हो.	सामान्य प्रशासन
26.	175	1.9.2020 से प्रभावी आगे रियायतकर्ता को अस्पताल हस्तांतरण होने तक जैसे भी और जब भी आवश्यकता होनेपर कोविड रोगियोंको आपातिक तथा नेमी स्थानांतरित करने के लिए निजी प्रगत जीवनाधार (एएलएस) रुग्णवाहिका सेवाओं को विस्तारण.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है - (i) झिकित्झा हेल्थ केयर लि. द्वारा मुहैया की गयी वर्तमान निजी प्रगत जीवनाधार (एएलएस) रुग्णवाहिका (हृदय) सेवा को 31.1.2021 तक विस्तारण को तथा, (ii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल प्रगत जीवनाधार (एएलएस) रुग्णवाहिका (हृदय) के लिए दर प्रस्ताव हेतु निविदा आमंत्रित करने को.	चिकित्सा
27.	176	कोविड-19 महामारी लॉक डाऊन अवधि के कारण पोत-भंजन प्रभारों को माफी.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 में संशोधित परिच्छेदित 6 (i) तथा (ii) का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
28	177	कॅल्साईट चिप्स आयातकर्ता को फिर से मुंबई पोर्ट में आकर्षित करना - गोदियों में उतराई तथा भंडारित किये कॅल्साईट चिप्स हेतु नि:शुल्क भंडारण दिनों में वृद्धि.	टिप्पणी के परिच्छेद 17 के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को छह महिनों की अवधि के लिए तथा तत्पश्चात समीक्षा करने के लिए अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
29	178	श्री अब्दुल हमीद के. शेख, पूर्व कनिष्ठ सहायक, टिकट सं.18764, भनि. संख्या बी 0000683/ओबीएल (मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की सेवा से 1.5.2020 से सेवानिवृत्त) के विरुद्ध विभागीय जाँच कार्यवाही आयोजित करने हेतु आदेश.	श्री अब्दुल हमीद के. शेख, पूर्व कनिष्ठ सहायक, ओबीएल का देहांत होने के कारण उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करने को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	यातायात
30	179	23.3.2020 से आगे लॉकडाऊन अवधि के दौरान कर्मचारियों की अनुपस्थिति के साथ सलूक करना तथा कंटेनमेंट झोन व संबंधित मामलें.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सामान्य प्रशासन
31	180	सूक्ष्म और लघुउद्यम (एमएसईज) हेतु सार्वजनिक प्रापण नीति आदेश, 2012 दिनांक 23.3.2012 तथा सूक्ष्म और लघुउद्यम (एमएसईज) हेतु सार्वजनिक प्रापण नीति संशोधन आदेश, 2014 दिनांक 9.11.2018 का प्रभावी कार्यान्वयन.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) टिप्पणी के परिच्छेद 17 का मुख्य यांत्रिकी अभियंता का प्रस्ताव, (ii) समय समय पर विभाग प्रमुखों द्वारा दी गई छूट के संबंध में मंडल को अवगत करने को [परिच्छेद 17 (c)], (iii) भविष्य में प्राप्त होनेवाले आदेशोंको अध्यक्षजी के अनुमोदन से तत्काल कार्यान्वित करने को.	यांत्रिकी
32	181	आयकर विवरण दाखिल करने हेतु वित्त विभाग के कतिपय अधिकारियों को मुख्तारनामा प्रदान करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	वित्त
33	182	निविदा सं.ई-95/2019- मुंपोट्र संपदा - चरण IV में पे ॲण्ड पार्क का प्रचालन तथा प्रबंधन. - निविदाएँ आमंत्रित करने हेतु पूर्व योग्यता निकष तथा शर्तों व निबंधनों को अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
34	183	मेडिकल कॉलेज विकसित करने तथा पीपीपी आधार पर अस्पताल का आगे विस्तार करने के विकल्प के साथ 600 शय्याओं के सुपर स्पेश्यालिटी अस्पताल की स्थापना के लिए स्वतंत्र इंजिनीयर का चयन.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है. ***[सर्वश्री सुधाकर अपराज तथा केरसी पारेख असहमत.]***	चिकित्सा
35	184	मुंपोट्र में बर्थिंग नीति.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को परिच्छेद 8.2(i) के सिवाय तथा परिच्छेद 8.2 (iii) के संबंध में, यदि आयामों की जरुरतों के अनुसार बीपीएक्स तथा/या बीपीएस को बर्थिंग के लिए विचार करने को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	यातायात
36	185	दरमानों के अनुसार 3.10.2019 से प्रभावी लागू किये गये दरों पर बट्टा दरों को प्रभावी करने - की समीक्षा की जाए.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 के उप संरक्षक के प्रस्ताव को छह माह की अवधि के लिए, तत्पश्चात समीक्षा करने हेतू अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	समुद्री
37	186	जेडी 5 परियोजना विलंब शुल्क में छूट देने हेतु सापुरा ऑफशोअर एसडीएन बीएचडी से प्राप्त अनुरोध.	टिप्पणी के परिच्छेद 28 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
38	187	स्टॉर्म गेट, इंदिरा गोदी के दोनों किवाडों की बडी मरम्मत / पुनरुद्धार.	टिप्पणी के परिच्छेद 15 का मुख्य यांत्रिकी अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
39	188	स्नेहक तेल तथा ग्रीज का प्रापण.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य यांत्रिकी अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
40	189	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को सभी तीन आईएसओ प्रमाणन (आईएसओ 9001:2015 क्यूएमएस, आईएसओ 14001:2015 इएमएस तथा आईएसओ 27001:2013) प्रदान करने हेतु प्रमाणित निकाय के रुप में आईआर क्लास सिस्टम्स् ॲन्ड सोल्युशन्स प्रा. लि. की नियुक्ती.	टिप्पणी के परिच्छेद 17 में निर्दिष्ट समझौता किये गये दरों पर टिप्पणी के परिच्छेद 11 का मुख्य यांत्रिकी अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
41	190	हिंदी अधिकारी की पदोन्नति के पहलुओं संबंधी वरिष्ठ सहायक सचिव के भर्ती नियमों में संशोधन.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के साथ पठित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 5 के अंतर्गत, अनुलग्नक II में यथा निर्दिष्ट प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते कि धारा 124(1) तत्रैव के अधीन सरकार की मंजूरी हो.	सामान्य प्रशासन
42	191	निम्न मे संशोधन - (i) मुंपोट्र कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 2019 के विनियम 5 तथा उसको संलग्न अनुसूची; तथा (ii) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 12 तथा उपविभाग प्रमुख के 14 पदों के भर्ती नियमों. -उपविभाग प्रमुख स्तर के पदों के लिए नियुक्ती प्राधिकारी.	निम्नलिखित में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी प्रदान की जाती है- (i) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के साथ पठित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 5 के अंतर्गत, अनुलग्नक II में यथा निर्दिष्ट, मुंपोट्र कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 12 (2) (ए) तथा (बी) तथा अनुसूची-I के कॉलम सं.4 के उपविभाग प्रमुखों के 14 पदों के भर्ती नियमों को, बशर्ते की धारा 124 (i) तत्रैव के अधीन सरकार की मंजूरी हो. (ii) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के अंतर्गत, अनुलग्नक IV में यथा निर्दिष्ट मुंपोट्र कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) विनियम, 2019 को संलग्न अनुसूची तथा विनियम 5 को, बशर्ते कि धारा 124 (i) तत्रैव के अधीन सरकार की मंजूरी हो.	सामान्य प्रशासन
43	192	महापत्तनों को दिशा निर्देश- (i) दण्ड, आदि पर छूट/माफी, तथा (ii) फोर्स मेजोर से संबंधित मामले	विचार-विमर्श आस्थगित.	समुद्री

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
44	193	22.7.2020 से प्रभावी होकर अस्पताल का रियायतकर्ता को हस्तांतरण किये जाने तक कोरोना विषाणु का फैलाव रोकने हेतु क्वारंटाईन वार्ड/आईसोलेशन वार्ड/ जाँच प्रयोगशाला द्वारा उत्पन्न जैव चिकित्सीय कचरे का संग्रहण, वहन तथा प्रक्रिया हेतु वर्तमान संविदा को विस्तारण.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
45	194	भारतीय पत्तनों में आनेवाले क्रूज जहाजों के लिए प्रशुल्क को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
46	195	मुंपोट्र की संपदा में अनाधिकृत कूडा कचरा फेकने के लिए दण्ड की उगाही तथा वृध्दि.	अनुमोदन प्रदान किया जाता है - (i) टिप्पणीके परिच्छेद 5 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को, तथा (ii) मुख्य अभियंता का विभाग मुंपोट्र की सडकों पर / संपदा में डेब्रिज का वहन कर के दौडनेवालें ट्रकों / डम्परों को अनुज्ञापत्र जारी करेगा, जिसमें वाहन पंजीकरण संख्याएँ, परिवहन की तिथि(याँ) (दिन की रोशनी में दौडने के लिए मात्र), डेब्रिज को मुंपोट्र संपदा के बाहर परिवहन करने का मार्ग, डेब्रिज के डंपिंग / निपटान के गंतव्य स्थल के बारे में स्पष्ट रुप से उल्लेख होगा. मुंपोट्र के मुख्य अभियंता के विभाग द्वारा जारी किये वैध अनुज्ञापत्र के बिना डेब्रिज को वहन करके मुंपोट्र की सडकों पर / संपदा में दौडनेवालें ट्रकों / डम्परों से प्रति ट्रक/डम्पर 50,000 रु. का दंड वसुला जाएगा.	स्थापत्य
47	196	कॉटन ग्रीन स्थित पूर्व बीडीएलबी हाउसिंग कालोनी की तीन जीर्ण ईमारतों (ईमारत संख्याएँ 7, 10 तथा 11) को गिराना.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
48	197	चक्र 2015-2019 हेतु स्थापत्य अभियांत्रिकी निर्माण कार्य के लिए संविदाकारों के पंजीकरण को विस्तारण.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
49	198	फोर्स मेजोर की प्रार्थना - कोव्हिड- 19 महामारी के कारण मुंपोट्र द्वारा प्रदान की गयी संविदाओं में राहत प्रदान करना.	समिति की सिफारिशोंपर परिच्छेद 7 में दिया गया वित्तिय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित है. समिति की रिपोर्ट के परिच्छेद 4 तथा 5 के अनुसार संविदाकारों/ रियायत-कर्ताओं/ ओएण्डएम प्रचालकों/ पे अंण्ड पार्क संविदाकारों/ टोल वसूली ठेकेदारों से प्राप्त प्रार्थनाओं को स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए.	वित्त
50	199	मुंबई मेट्रों रेल कार्पोरेशन लि. (एमएमआरसीएल) द्वारा सा.का.उ.मं. ईमारत का सौंपना.	अनुमोदन प्रदान किया जाता है - (i) टिप्पणी के परिच्छेद 9 के संपदा प्रबंधक के प्रस्ताव को; तथा (ii) एमएमआरसीएल द्वारा रिक्त किये गये परिसर का आबंटन करने के लिए संपदा प्रबंधक को तत्काल निविदा आंमत्रित करने हेतु.	संपदा
51	200	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 में संशोधन.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 24 के साथ पठित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनिमय, 2010 के विनिमय 5 के अंतर्गत अनुलग्नक II में यथा निर्दिष्ट प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते की धारा 124(i) तत्रैव के अधीन सरकार की मंजूरी हो.	सामान्य प्रशासन
52	201	लंगरगाह प्रभारों में रियायत हेतु अनुरोध.	दो जॅकअप रिग्ज- 'डीपसी मॅट ड्रिल' तथा 'डीपसी ट्रेझर' को रियायत/छूट/माफी प्रदान करने की जॅगसन इंटरनॅशनल लि. की प्रार्थना को नामंजूर किया जाता है.	समुद्री

मंडल की 24 नवंबर 2020 को हुई विशेष बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	202	सुधारित प्राक्कलन, 2020-21 तथा बजट प्राक्कलन, 2021-22.	सुधारित प्राक्कलन, 2020 -21 तथा बजट प्राक्कलन, 2021-22 मंजूर किया जाता है, बशर्ते कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 100 के साथ पठनीय धारा 98 के अन्तर्गत सरकार की मंजूरी मिले.	वित्त

C6/Pro 24 November 2020(Spl)/actiontaken20201124(Hindi)